रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 2018/ज्येष्ठ 2, 1940
No. 332]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 2018/JYAISTHA 2, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2018

सा.का.नि. 474(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1221, तारीख 27 अगस्त, 1971 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, पंजाब प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (1979 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 18) और पंजाब प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2013 (2013 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 48), जैसा कि वह पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, का निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपांतर

पंजाब प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979
(1979 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 18)

1. प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (1979 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 18) इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, में सर्वत्र शब्दों "राज्य सरकार" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" शब्द रखे जाएंगे ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 1 में, —

    (क) उप-धारा (1) में, शब्दों "पंजाब प्राइवेट रुप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979" के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित" शब्द अन्तर्लिखित किए जाएंगे ;

    (ख) उप-धारा (2) में शब्द "पंजाब राज्य" के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में, शब्द "सार्वजनिक शिक्षण (विद्यालय) पंजाब का निदेशक," और "लोक शिक्षण (प्राथमिक शिक्षा) का निदेशक, जैसी भी स्थिति हो" के स्थान पर "निदेशक विद्यालय शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त अधिनियम की धारा 16 में, —

(क) उपधारा (1) में शब्दों, "पंजाब सहायता पाने वाला विद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1969" के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित" शब्द अन्तर्लिखित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे,

अर्थात् : —

(iii) जब तक इस अधिनियम के अधीन विद्यालय अधिकरण का गठन नहीं हो जाता है, प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के प्रबंधतंत्र और स्टाफ के बीच विवादों से उद्भूत अपीलों की सुनवाई करेगा, जो माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय ने टी एम ए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2002 (8) एस सी (481) आदेश तारीख 31 अक्तूबर, 2002 के साथ पठित चंडीगढ़ प्रशासन, शिक्षा विभाग अधिसूचना तारीख 20 मई, 2013 में दिये गए निदेशों के अनुसरण में है।

पंजाब प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2013
(2013 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 48)

पंजाब प्राइवेट रुप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2013 (2013 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 48) की धारा 1 की उपधारा (1) में शब्दों "पंजाब प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2013" के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित" शब्द अंतर्लिखित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू-11020/4/2017-यूटीएल]

गोविंद मोहन, संयुक्त सचिव

<u>**उपाबंध – 1**</u>

पंजाब प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979
(1979 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 18)

[तारीख 12 नंवबर, 1979 को पंजाब के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और पहली बार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पंजाब सरकार के राजपत्र (असाधारण) विधायी अनुपूर्ति, तारीख 16 नंवबर, 1979 में प्रकाशित किया गया था।]

पंजाब राज्य के प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का और उससे संबंधित तथा उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, —

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब प्राइवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण पंजाब राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) 'सहायता प्राप्त पद' से प्राइवेट रूप से व्यवस्थित मान्यताप्राप्त विद्यालय के स्थापन का ऐसा पद अभिप्रेत है जिस के विरुद्ध ऐसा विद्यालय राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करता है ;

(ख) 'निदेशक' से यथास्थिति, लोक शिक्षण (विद्यालयों) पंजाब का निदेशक और लोक शिक्षण (प्राथमिक विद्यालयों का निदेशक) अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ग) 'कर्मचारी' से भाड़े या पारिश्रमिक के लिए नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हो या विवक्षित प्राइवेट रूप से व्यवस्थित मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय में सहायता प्राप्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और किसी नियोजन संबंधी विवाद के संबंध में इसमें इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए सेवा से पदच्युत या हटाया गया व्यक्ति भी सम्मिलित होगा किंतु इसमें अंशकालिक कर्मचारी सम्मिलित नहीं होगा ;

(घ) 'विद्यमान विद्यालय' से प्राइवेट रूप से व्यवस्थित मान्यताप्राप्त ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान था ;

(ङ) 'प्रबंध समिति' से ऐसा व्यष्टि निकाय अभिप्रेत है जिसे प्राइवेट रूप से व्यवस्थित मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय का प्रबंध सौंपा गया है ;

(च) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) 'प्राइवेट रूप से व्यवस्थित मान्यताप्राप्त विद्यालय' से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी पर किसी अन्य अभिहित प्राधिकारी द्वारा नहीं चलाया जाता है या जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समर्थित नहीं है और जो राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक मिडिल, उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा देने के लिए या डिग्री स्तर से नीचे का प्रशिक्षण देने के लिए मान्यताप्राप्त है किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसी संस्था नहीं है जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है ;

(ज) 'विद्यालय अधिकरण' से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन गठित कोई विद्यालय अधिकरण अभिप्रेत है ;

अध्याय 2

कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें

कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें

3. कर्मचारियों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और उनकी सेवा शर्तें वह होंगी जो विहित की जाए ;

परंतु न तो किसी विद्यमान विद्यालय के किसी कर्मचारी के वेतन में न ही उनकी अनुपस्थिति छुट्टी, सेवा निवृत्ति की आयु और पेंशन संबंधी अधिकारों में ऐसे कर्मचारी के अहित में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों का चुनाव करने का हकदार होगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले उसे लागू होती थी।

कर्मचारियों की पदच्युति हटाया जाना आदि।

4. (1) किसी ऐसे नियम के अधीन रहते हुए जो न तो इस निमित्त बनाया जाए, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय किसी कर्मचारी को न तो उसकी सेवा से पदच्युत किया जाएगा, न हटाया जाएगा या न उसकी रैंक या काल वेतनमान को अवनत किया जाएगा और न ही उसकी सेवाओं को अन्यथा समाप्त नहीं किया जाएगा।

(2) कोई कर्मचारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन पदच्युत किया जाता है, हटाया जाता है या रैंक को या किसी काल वेतन मान में अवनत किया जाता है, ऐसी पदच्युति हटाए जाने या अवनत के आदेश के संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध विद्यालय अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(3) निदेशक के आदेश के व्यथित प्रबंध समिति भी आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर विद्यालय अधिकरण को अपील कर सकेगी।

कर्मचारियों का निलबंन

5. किसी कर्मचारी को निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना छह मास से अनधिक की अवधि के लिए निलम्बनाधीन नहीं रखा जाएगा।

कर्मचारियों का आचार संहिता द्वारा शासित होना।

6. प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचार संहिता द्वारा शासित होगा जो विहित की जाए और कर्मचारी, ऐसी आचार संहिता के किसी उपबंध के उल्लंघन पर ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का दायी होगा जो विहित की जाए।

कर्मचारियों के वेतन

7. धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी कर्मचारियों का वेतन मान और मंहगाई भत्ता उन कर्मचारियों से कम नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में तत्समान पद धारण किए हुए हैं ;

परंतु जहां कर्मचारियों का वेतन मान और मंहगाई भत्ता राज्य सरकार के उन कर्मचारियों से कम है जो राज्य सरकार द्वार चलाए जा रहे विद्यालयों में तत्समान पद धारण किए हुए हैं, वहां निदेशक संबंधित प्रबंध समिति को, उसे राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों के सम-मूल्य पर लाने का निदेश दे सकेगा ।

विद्यालय अधिकरण •

8. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक विद्यालय अधिकरण गठित कर सकेगा ।

(2) कोई विद्यालय अधिकरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त केवल एक व्यक्ति से गठित होगा।

(3) कोई व्यक्ति, किसी विद्यालय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रुप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब -

(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो ;

(ख) वह कोई जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा हो ;

(4) विद्यालय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तों वे होंगी जो विहित की जाए ।

(5) अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न विद्यालय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की रिक्ति उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार रिक्ति को भरने के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति करेगी और विद्यालय अधिकरण के समक्ष कार्रवाईयां उस स्तर से जिसको रिक्ति भरी जाती है, जारी रह सकेगी ।

(6) राज्य सरकार विद्यालय अधिकरण को ऐसे कर्मचारिवृंद जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में आवश्यक समझे, उपलब्ध कराएगी ।

(7) विद्यालय अधिकरण के संबंध में उपगत सभी व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(8) विद्यालय अधिकरण को उसके कृत्यों जिसके अंतर्गत वे स्थान या स्थानों जहां वह बैठक करेगा, के निर्वहन में उत्पन्न सभी मामलों को स्वयं की प्रक्रिया द्वारा विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(9) विद्यालय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन की गई अपील के निपटान के प्रायोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अपील न्यायालय में निहित शक्तियों के समान शक्तियां रखेगा और ऐसे निबंधनों, जैसा कि वह उचित समझे, पर अपील किए गए किसी आदेश के प्रचालन को रोकने की शक्ति भी होगी ।

(10) धारा 4 के अधीन की गई अपील के संबंध में विद्यालय अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा ।

अध्याय 3

प्रकीर्ण उपबंध

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

9. किसी सिविल न्यायालय को किसी मामले में, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन या द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग के लिए राज्य सरकार या निदेशक सशक्त किया गया है, अधिकारिता नहीं होगी और सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या द्वारा किए गए या किए जाने के लिए आशयित कोई व्यादेश प्रदान नहीं करेगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

10. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, सरकार या निदेशक के विरुद्ध न होगी ।

आदेश या निदेश का अननुपालन ।

11. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विद्यालय अधिकरण के किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन निदेशक के किसी निदेश के पालन में विफलता पर राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई जैसा कि वह उचित समझे जिसके अंतर्गत सहायता अनुदान को रोकना भी है, कर सकेगी ।

दंड। 12. कोई व्यक्ति, प्राईवेट संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालय के प्रबंध कार्य के लिए न्यस्त है, वह विद्यालय अधिकरण के किसी आदेश का पालन करने में युक्तियुक्त कारण के बिना लोप करता है या विफल रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

कंपनी द्वारा कारित अपराध। 13. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा कारित किया जाता है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम है ;

(ख) किसी फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 14. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति। 15. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) कर्मचारियों की न्यूनतम अर्हताएं, भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तें और निबंधन ;

(ख) कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और उसके अतिक्रमण पर की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही ;

(ग) विद्यालय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की सेवाओं की शर्तें और निबंधन;

(घ) ऐसा अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाता है या किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा और यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक

आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृत्ति। 16. (1) पंजाब अनुदानित विद्यालय (सेवाओं की सुरक्षा) अधिनियम, 1969 की निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी —

(i) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(ii) इस प्रकार निरसित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उपायुक्त के समक्ष लंबित कोई मामला इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में निदेशक को अंतरित हो जाएंगे और उसके द्वारा निपटाए जाएंगे जैसे कि वह उपायुक्त था।

(iii) जब तक इस अधिनियम के अधीन विद्यालय अधिकरण गठित नहीं किया जाता है, खंड का आयुक्त इस अधिनियम के अधीन गठित विद्यालय अधिकरण समझा जाएगा और इस प्रकार निरसित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उसके समक्ष लंबित कोई अपील या इस अधिनियम की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन की गई कोई अपील इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा निपटाई जाएगी।

(iv) इस अधिनियम के अधीन विद्यालय अधिकरण के गठन पर सभी अपीलें जो खंड (iii) के अधीन विनिश्चित नहीं की जा सकी, वह उक्त अधिकरण को अंतरित हो जाएगी और इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

उपाबंध - 2

पंजाब सरकार का राजपत्र (असाधारण) तारीख 11 दिसंबर, 2013

(एजीएचएन 20, 1935 शक)

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

11 दिसंबर, 2013

सं. 59-वि.2013.—पंजाब राज्य की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम पर तारीख 4 दिसंबर, 2013 को पंजाब के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी यह साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है: —

पंजाब प्राईवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2013

(पंजाब अधिनियम संख्या 2013 का 48)

एक

अधिनियम

पंजाब प्राईवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 का संशोधन करने के लिए

भारत गणराज्य के चौसठवेंवर्ष में पंजाब राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब प्राईवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी (सेवाओं सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

1979 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 18 की धारा 2 का संशोधन। 2 पंजाब प्राईवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी (सेवाओं की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(गग) शैक्षिक संस्था का वही अर्थ होगा जो उसे पंजाब संबद्ध महाविदयालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1974 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है।

1979 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 18 में नई धारा 8 का अंतःस्थापन। 3 मूल अधिनियम में धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात: —

शैक्षिक अधिकरण की अधिकारिता "8 इस अधिनियम और पंजाब संबद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1974 की धारा 7क की उपधारा (12) में किसी बात के होते भी हुए शैक्षिक अधिकरण को सभी शैक्षिक संस्थाओं की प्रबंध समितियों और उनके कर्मचारियों के मध्य विवादों को सुनने की भी अधिकारिता होगी।

निरसन और व्यावृत्तियां। 4 (1) पंजाब प्राईवेट रूप से संचालित मान्यताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) संशोधन अध्यादेश, 2013 (2013 का पंजाब अध्यादेश संख्यांक 4) निसरित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के अधीन की गई समझी जाएगी।

ह0/-

एच.पी.एस.महल

सचिव, पंजाब सरकार

विधि और विधायी कार्य विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2018

G.S.R. 474(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and in suppression of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G. S. R. 1221, dated the 27th August, 1971, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Act, 1979 (Punjab Act No.18 of 1979) and the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Amendment Act, 2013 (Punjab Act No.48 of 2013), as in force in the State of Punjab, on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

THE PUNJAB PRIVATELY MANAGED RECOGNISED SCHOOLS EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) ACT, 1979

(PUNJAB ACT 18 OF 1979)

1. Throughout the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Act, 1979 (Punjab Act 18 of 1979) hereinafter referred to as the Act, for the words "State Government" wherever they occur, the words "the Administrator of the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. In section 1 of the said Act,—

   (a) in sub-section (1), after the words "the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Act, 1979", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted;

   (b) In sub-section (2), for the words "State of Punjab", the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. In section 2 of the said Act, in clause (b), for the words "Director of Public Instruction (Schools), Punjab" and "Director of Public Instruction (Primary Education), as the case may be," the words "Director School Education, Chandigarh Administration" shall be substituted.

4. In Section 16 of the said Act, —

(a) in sub-section (1), after the words 'The Punjab Aided School (Security of Service) Act, 1969', the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted;

(b) in sub-section (2), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: —

"(iii) until the School Tribunal is constituted under this Act, the first Additional District and Sessions Judge, Chandigarh shall hear the appeals arising out of the disputes between the management and staff of recognised private schools, private colleges and private universities in the Union territory of Chandigarh in pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in TMA Pai Foundation and others versus State of Karnataka, 2002(8)SC(481) vide order dated 31st October, 2002 read with Chandigarh Administration, Education Department notification dated the 20th May, 2013."

THE PUNJAB PRIVATELY MANAGED RECOGNISED SCHOOLS EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2013

(PUNJAB ACT NO.48 OF 2013)

In sub-section (1) of section 1 of the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Amendment Act, 2013 (Punjab Act No. 48 of 2013), after the words, "the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Amendment Act, 2013", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

[F. No. U-11020/4/2017-UTL]

GOVIND MOHAN, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

THE PUNJAB PRIVATELY MANAGED RECOGNISED SCHOOLS EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) ACT, 1979

(Punjab Act No.18 of 1979)

[Received the assent of the Governor of Punjab on the 12th November, 1979 and was first published for general information in the Punjab Government Gazette (Extraordinary) Legislative Supplement, dated the 16th November, 1979]

An act to provide for security of service to employees of privately managed recognized schools in the State of Punjab and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Punjab Privately Managed Recognized Schools Employees (Security of Service) Act, 1979.

(2) It is extends to the whole of the State of Punjab.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint.

Definition

2. In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) *'aided post'* means the post of the establishment of a privately managed recognized school against which such a school gets grant-in-aid from the State Government;

(b) *'Director'* means the Director of Public instruction (Schools), Punjab and Director of Public Instructions (Primary Education), as the case may be, and includes any other officer authorized by him in this behalf;

(c) *'employee'* means any person employed on an aided post in any privately managed recognized school for hire or reward (whether the terms of employment be express or implied) and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to any employment dispute includes the person dismissed or removed from service but does not include a part-time employee;

(d) *'existing school'* means a privately managed recognized school which is in existence at the commencement of this Act;

(e) *'managing committee'* means the body of the individuals who are entrusted with the management of any privately managed recognized school;

(f) *'prescribed'* means prescribed by rules made under this Act;

(g) *'privately managed recognized school'* means a school, which is not run by the Central Government, the State Government, a local authority or any other authority designated or sponsored by the Central Government, State Government or local authority, as the case may be, and is recognized by the State Government for imparting pre-primary, primary, middle, high and higher secondary education or training below the degree level, but does not include an institution which imparts technical education;

(h) *'School Tribunal'* means a School Tribunal constituted under Section 8 of this Act.

CHAPTER-II
TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF EMPLOYEES

Terms and conditions of service of employees.

3. The minimum qualifications for recruitment and the conditions of service of the employees shall be such as may be prescribed:

Provided that neither the salary nor the rights in respect of leave of absence, age of retirement and pension of an employee of an existing school shall be varied to the disadvantage of such employee:

Provided further that every such employee shall be entitled to opt for the terms and conditions of service as were applicable to him immediately before the commencement of this Act.

Dismissal, removal etc. of employees

4. (1) Subject to any rule that may be made in this behalf, no employee shall be dismissed, removed or reduced either in rank or within a time scale nor shall his services be otherwise terminated except with the prior approval of the Director.

(2) Any employee who is dismissed, removed or reduced either in rank or within a time scale under sub-section (1) may, within three months from the date of communication to him of the order of such dismissal, removal or reduction, appeal against such order to the School Tribunal.

(3) The managing committee aggrieved with the order of the Director may also appeal to the School Tribunal within a period of three months from the date of communication of the order.

Suspension of employees

5. No employee shall be kept under suspension for a period exceeding six months without the prior approval of the Director.

Employees to be governed by a Code of conduct.

6. Every employee shall be governed by such Code of Conduct as may be prescribed and on the violation of any provision of such Code of Conduct the employee shall be liable to such disciplinary action as may be prescribed.

Salaries of employees

7. Notwithstanding anything contained in section 3, the scale of pay and dearness allowance of the employees shall not be less than those of the employees of the State Government holding corresponding posts in the schools run by the State Government:

Provided that where the scales of pay and dearness allowance of the employees are less than those of the employees of the State Government holding corresponding posts in the schools run by the State Government, the Director shall direct the concerned managing committee to bring the same at par with those of such employees of the State Government.

School Tribunal 8. (1) The State Government may, by notification, constitute one or more School Tribunals for the purposes of this Act for such area as may be specified in such notification.

(2) A School Tribunal shall consist of one person only to be appointed by the State Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as a Presiding Officer of a School Tribunal unless:

(a) he is, or has been a Judge of the High Court;
(b) he is, or has been a District Judge or an Additional District Judge.

(4) The terms and conditions of service of the Presiding Officer of the School Tribunal shall be such as may be prescribed.

(5) If any vacancy, other than a temporary absence, occurs in the office of the Presiding Officer of a School Tribunal, the State Government shall appoint another person in accordance with the provisions of this section, to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the School Tribunal from the stage at which the vacancy is filled.

(6) The State Government shall make available to the School Tribunal such staff as may be necessary in the discharge of its functions under the Act.

(7) All expenses incurred in connection with the School Tribunal shall be borne by the State Government.

(8) The School Tribunal shall have power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions including the place or places at which it shall hold its sittings.

(9) The School Tribunal shall for the purposes of disposal of an appeal preferred under this Act have the same powers as are vested in a court of appeal by the Code of Civil Procedure, 1908, and shall also have the power to stay the operation of any order appealed against on such terms as it may think fit.

(10) The order of the School Tribunal made in any appeal preferred under Section 4 shall be final.

CHAPTER III

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Jurisdiction of Civil Courts barred. 9. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter in relation to which the State Government or the Director is empowered by or under this Act to exercise any power, and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act.

Protection of action taken in good faith. 10. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Director for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.

Non-compliance with order or direction 11. Without prejudice to any other action, that may be taken under any other provision of this Act, the failure to carry out any orders of the School Tribunal or of any direction of the Director under this Act, the State Government may take such action as it may think fit including stoppage of the grant-in-aid.

Penalty 12. Any person who entrusted with the management of the affairs of a privately managed recognized school omits or fails, without any reasonable excuse to carry out any orders made by the School Tribunal shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Offence by companies. 13. (1) Where an offence under this Act has been committed *by* a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributed to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purpose of this section—

(a) *"company"* means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(b) *"director"* in relation to a firm, means a partner in the firm.

Removal of difficulties. 14. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

Power to make rules. 15. (1) The State Government may, by notification and subject to the conditions of previous publication *make rules, for carrying* out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :

(a) the minimum qualifications for, and method of recruitment, and terms and conditions of service of employees ;

(b) the Code of Conduct for the employees and the disciplinary action to be taken for the violation thereof;

(c) the terms and conditions of service of Presiding Officer of the school Tribunal ;

(d) any other matter which is to be, or may be, prescribed under this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State legislature while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may be ; so, however, that any

such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal and saving 16. (1) The Punjab Aided School (Security of Service) Act, 1969, is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal—

(2) (i) anything done or any action taken under the Act so, repealed shall be deemed to have been done or taken *under* the corresponding provisions of this Act;

(ii) any case pending before the Deputy Commissioner under sub-section (2) or sub-section (4) of section 3 of the Act so repealed shall stand transferred to and be dealt with by the Director in accordance with the provisions of the Act so repealed and the rules made there under as if he were the Deputy Commissioner;

(iii) until the School Tribunal is constituted under this Act, the Commissioner of a Division shall be deemed to be a School Tribunal constituted under this Act, and any appeal pending before him under sub-section (5) of section 3 of the Act so repealed or any appeal preferred under sub-section (2) or sub-section (3) of section 4 of this Act shall be dealt with by him under the provisions of this Act;

(iv) on the constitution of the School Tribunal under this Act, all appeals which could not be decided under sub-clause (iii) shall stand transferred to the said Tribunal and be decided by it under the provision of this Act and rules made thereunder.

ANNEXURE-II

PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), December, 11, 2013

(AGHN 20, 1935 SAKA)

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 11th December, 2013

No.59-Leg./2013.—The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 4th Day of December, 2013, is hereby published for general information: —

THE PUNJAB PRIVATELY MANAGED RECOGNISED SCHOOLS EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2013

(PUNJAB ACT NO. 48 OF 2013)

AN

ACT

further to amend the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Act, 1979.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows: -

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called the Punjab Privately Managed Recognized Schools Employees (Security of Service) Amendment Act, 2013.

(2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment in section 2 of Punjab Act 18 of 1979 2. In the Punjab Privately Managed Recognized Schools Employees (Security of Service) Act, 1979 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: —

"(cc) "educational institution" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of section 2 of the Punjab Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1974;".

Insertion of new section 8 of Punjab Act 18 of 1979.	3.		In the principal Act, after section 7, the following section shall be inserted, namely:
		Jurisdiction of Educational Tribunal	"8. Notwithstanding anything contained in this Act, and in sub-section (12) of section 7-A of the Punjab Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1974, the Educational Tribunal shall also have jurisdiction to hear cases of disputes between the Management Committees of all educational institutions and their employees.".
Repeal and Saving.	4.	(1)	The Punjab Privately Managed Recognized Schools Employees (Security of Service) Amendment Ordinance, 2013 (Punjab Ordinance No.4 of 2013), is hereby repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amendment by this Act.

Sd/-

H.P.S MAHAL,

Secretary to Government of Punjab,

Department of Legal and Legislative Affairs.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.